


क

### ः : आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कः: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,



Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in



रजिस्टर्डडाकए.डी. द्वारा :-

DIN-20230364SX000000BC2A

अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.

GAPPL/COM/STP/3032/2022

मूलआदेशमं / OIO No.

38/D/AC/2021-22

दिनांक/

Date

25-03-2022

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

## RAJ-EXCUS-000-APP-070-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order:

21.03.2023

जारी करने की तारीख / Date of issue:

21.03.2023

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तू एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

अपीलकर्ता %प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

#### M/s. Europa Foams Private Ltd, Plot No. 11, Survey No. 168/2, S.P. Ind. Hub, Kuvadava Wankaner Highway, Village-Sanosara, Rajkot.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। / Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती है।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्न EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उत्से कम 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक हैं तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति सलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित द्वारट का भगतान, बैंक की उसे शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/ (iii)

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1.000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, बित्त अधिनियम, 1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5में चार प्रतियों में की जा सकेशी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से करित के साथ, जहां सेवाकर की माँग , ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राएट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राएट का मुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट्रे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order-appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



(B)

- वित्त अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुक्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियों संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त; केन्द्रीय उत्पाद शुक्क (क्वारा पारित आदेश की अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filled in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise (Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. (i)
- (ii)

Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की द्वारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत रकमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम

(ii) सेनवेट जमा किली गई गलत राशि

(iii) सेनवेट जमा किली गई गलत राशि

(iiii) सेनवेट जमा किली गई गलत राशि

(iiii) सेनवेट जमा किली गई गलत राशि

(iv) सेन

मारत सरकार कोपन्रीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण आवेदन कि प्रिम्मलेखित मामलो में,केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई,वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid: (C)

यदि माल के किसी नुक्सान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, वा किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुक्सान के मामले में।/
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of repate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आपुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतिया संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी (v) नाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise
(Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is
communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be
accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE
of CEA, 1944, under Major Head of Account.

नरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायंगी की जानी चाहिए। हिंग संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 000 -/ का भुगतान किया जाए। he revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One ac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का मुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थित अपीलीय नयाधिकरण को एक अपीलीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, it the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in (G)



# अपील आदेश /ORDER-IN-APPEAL

M/s Europa Foams Private Limited, Plot No.11, Survey No.168/2, S.P. Ind. Hub, Kuwadva Wankaner Highway, Village Sanosara, Rajkot-360 003 (hereinafter referred to as appellant) has filed appeal No.GAPPL/COM/STP/3032/2022 'against Order-in-Original No. 38/D/AC/2021-22 dated 25.03.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division, Rajkot-I (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- 2. The facts of the case, in brief, are that during the course of audit for the period December 2014 to June 2017, it was noticed that the appellant got constructed factory building and received work contract service. As per Notification No.30/2012-ST, the liability to pay 50% of service tax was on the service receiver under RCM. It appeared that the appellant has not paid service tax liability on works contract service received by them as per Notification No.30/2012-ST. Therefore, a show cause notice dated 04.08.2020 was issued to the appellant demanding service tax of Rs.2,52,238/-. The adjudicating authority has decided the issue vide the impugned order and confirmed the demand. He imposed penalties of Rs.2,52,238/- under Section 78 and Rs.10,000/- under Section 77(2) of the Finance Act, 1994 on the appellant.
- 3. Being aggrieved, the appellant has filed present appeal wherein they contended that the impugned order has been passed without being heard in person. They submitted that they could not attend the hearing because the person handling the matter was sick at that time.
- 4. Advocate D.D. Vyas appeared for personal hearing on 10.03.2023 and handed over a set of documents such as account statements for construction related purchases ledger, invoices, work order, medical certificate for delay etc. He reiterated the submission in the appeal and requested to set aside the Order-in-Original or remand the matter back to de-novo adjudication.
- 5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memorandum and written as well as oral submissions made by the Appellants. The short question to be answered in the present appeal is whether the appellant is liable to pay service tax on the work carried out by them.
- 6. The appellant in the present appeal has contended that the order has been passed without being heard. I find that the appellant has not filed any reply to the show cause notice and they were not heard by the adjudicating authority before deciding the issue. As per the documents submitted by the appellant, it appears the appellant has purchased various constructions materials and got the building constructed by engaging labours. Since this issue has not been examined by the adjudicating authority, I am of the considered view that remanding back the

Page 3 of 4

matter to the adjudicating authority for passing fresh order, after considering the submissions and evidences placed before him, would meet the ends of justice for the appellant.

- In view of above, I set aside the impugned order and remand back the matter to the adjudicating authority for passing fresh order adhering to the principles of natural justice within 30 days from the date of receipt of this order. The appellant shall make their submissions and place evidences before him within a reasonable time.
- अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है । 80.

The appeal filed by the Appellant is disposed off as above. 8. सत्यापित / Attested

Raikot

(शिव प्रताप सिंह/ SHIV PRATAP SINGH) Central GST (Appeals) आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

सेवा में मेस्सेर्स युरोपा फोम्स प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट 11, सर्वे 168/2, S. P इंडस्ट्रियल हब क्वाडवा वांकानेर हाइवे विल्लेज सनोसरा, राजकोट-360 003. To M/s Europa Foams Private Limited, Plot No.11, Survey No.168/2, S.P. Ind. Hub, Kuwadva Wankaner Highway, Village Sanosara, Rajkot-360 003

#### प्रतिलिपि:-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद ।
- प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट ।
- सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुक्क मण्डल राजकोट-ा.
- अ गार्ड फ़ाइल।

